संख्या 853/18-4-2020-1(विविध)/19

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
(ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) उ0प्र0,
लखनऊ।

आयुक्त एवं उद्योग निदेशक

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर,2020

विषय- 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु "एक जनपद एक उत्पाद ब्राण्डिंग योजना" प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 के पत्र संख्या-294/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ ल0/ब्राण्डिंग/2019-20,दिनांक 19-8-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों, सरकारी भवनों, सरकारी गेस्ट हाउसों तथा गांधी आश्रमों में "'एक जनपद एक उत्पाद ब्राण्डिंग योजना" निम्नानुसार प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. पात्रता की शर्तें :

1.1 ओ0डी0ओ0पी0 ब्राण्डिंग हेतु स्टोर्स का चयन निम्न प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा :-

1.1.1 एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन में ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर का न्यूनतम कारपेट क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट होना अनिवार्य है।

1.1.2 एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशनों में स्थापित होने वाले ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर में सम्पूर्ण स्थान ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

1.1.3 एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन हेतु आवेदक द्वारा उन्हीं जनपदों से ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद खरीद कर बिक्री किये जा सकेंगे जिन जनपदों हेतु उक्त उत्पाद ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के रूप में चिन्हित है। इस सम्बन्ध में ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर द्वारा समस्त संगत अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे एवं ऐसे सभी अभिलेख, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0प्रकोष्ठ) अथवा सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

1.1.4 एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन हेतु कारपेट एरिया में किसी भी प्रकार के विचलन की आवश्यकता पड़ने पर ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी तर्क संगत प्रस्ताव आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0प्रकोष्ठ) अथवा उनके द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए अनुमोदन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा केस टू केस बेसिस (case-to-case basis)पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

1.1.5 योजनान्तर्गत वही स्टोर पात्र होंगे जिनका उक्त स्टोर-विशेष हेतु जी0एस0टी0 नंबर है| यदि कोई HUF/Proprietorship firm/ अन्य कोई ऐसी legal entity एक जी0एस0टी0 नंबर से अधिक स्टोर संचालित करती है तो ऐसी स्थिति में केवल एक स्टोर ही योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

1.2 सरकारी भवनों, सरकारी गेस्ट हाउसों एवं गांधी आश्रम में ओ.डी.ओ.पी. कार्यक्रम की ब्रांडिंग की जायेगी|

2 एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन हेतु संपादित की जाने वाली कार्यवाहियां:

एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन हेतु चयनित आवेदक को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) के साथ 02 वर्ष का अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध की अवधि में चयनित आवेदक द्वारा संचालित ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर में निम्नवत प्राविधान करने होंगे :-

(अ) ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों को योजना के प्राविधानों के अनुसार बिक्री करना होगा।

(ब) ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर के मुख्य द्वार पर न्यूनतम 10×3 वर्ग फीट का ओ0डी0ओ0पी0 'लोगो' का NEON BOARD

(स) सभी उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु न्यूनतम 2.5×4 वर्ग फीट का LED Display Board. NEON BOARD का Design एवं HD Pictures/Videos की Soft Copy आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1 एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन हेतु वित्तीय सहायता निम्नवत होगी :-

श्रेणी	एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन	एयरपोर्ट हेतु वित्तीय प्रोत्साहन (मूल अनुबंध की अवधि हेतु किराए, विद्युत बिल एवं सजावट के भुगतान के सापेक्ष) (रु०में)	रेलवे स्टेशन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन (मूल अनुबंध की अवधि हेतु किराए,विद्युत बिल एवं सजावट के भुगतान के सापेक्ष) (रु०में)
1	2	3	4
अ	दिल्ली, मुंबई	5,00,000	2,00,000
ब	लखनऊ,वाराणसी,पुणे,कोचीन, बडोदरा,अमृतसर,इंदौर,नागपुर,मंगलौर , विशाखापत्तनम, तिरुपति, अन्य प्रदेश राजधानी में स्थापित	4,00,000	1,50,000
स	श्रेणी-क एवं ख के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित	3,00,000	75,000

2.2 उक्त वित्तीय सहायता स्टोर के किराए, विद्युत बिल एवं स्टोर की सजावट हेतु प्रदान की जायेगी |

2.3 अनुबंध हस्ताक्षरित करने के 30 दिन के अन्दर कुल अनुबंधित धनराशि का 50% भुगतान किया जाएगा | अनुबंध हस्ताक्षरित करने के समय चयनित आवेदक द्वारा सम्बंधित उपायुक्त उद्योग के नाम कुल प्रदत्त वित्तीय सहायता के समतुल्य 06 माह की अवधि की एक बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में उपलब्ध कराई जायेगी । बैंक गारंटी की अवधि के अंतिम माह में सम्बंधित उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा । योजना के प्राविधानों के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर बैंक गारंटी अवमुक्त कर दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में उक्त बैंक गारंटी ज़ब्त कर ली जायेगी। अवशेष 50% का भुगतान योजना के प्राविधानों के आलोक में सम्बंधित उपायुक्त उद्योग अथवा नामित अधिकारी की संतुष्टि पर,अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 30 दिवसों के अन्दर किया जाएगा | उपायुक्त उद्योग अथवा नामित अधिकारी उपरोक्त में वर्णित पात्रता के मानकों के आलोक में परीक्षण करते हुए अवशेष धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे |

2.4 यदि अनुबंध की अवधि 01 वर्ष तक बढाई जाती है तो तृतीय वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की सीमा मूल अनुबंध अवधि में प्रदान कुल वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत होगी । अनुबंध अवधि के विस्तार करने के 30 दिन के अन्दर अनुमन्य वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत प्रदान की जायेगी। अवशेष 50% का भुगतान योजना के प्राविधानों के आलोक में सम्बंधित उपायुक्त उद्योग अथवा इस हेतु नामित अधिकारी की संतुष्टि पर,अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 30 दिवसों के अन्दर किया जाएगा |

3. पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थापित सरकारी भवन, सरकारी गेस्ट हाउस एवं गाँधी आश्रम में ब्रांडिंग हेतु की जाने वाली कार्यवाही:

3.1 सरकारी भवन, सरकारी गेस्ट हाउस एवं गाँधी आश्रम में ओ.डी.ओ.पी. ब्रांडिंग हेतु 3×5 वर्ग फीट/4×6 वर्ग फीट/5×7 वर्ग फीट के glow sign board लगाई जायेंगे |

3.2 उपर्युक्त धनराशि चयन समिति की संस्तुति पर उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के प्रस्ताव पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) द्वारा बजट के माध्यम से सम्बंधित उपायुक्त उद्योग को उपलब्ध कराई जायेगी |

3.3 पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थापित सरकारी भवन, सरकारी गेस्ट हाउस एवं गाँधी आश्रम में ब्रांडिंग हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को प्रति वर्ष प्रति स्थान रु० 25,000 की अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी | प्रतिबन्ध यह है कि एक स्थान हेतु केवल एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी |

4. आवेदन की प्रक्रिया :

4.1 एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशनों पर स्टोर्स हेतु आवेदन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) के समक्ष किया जाएगा |

4.2 सरकारी भवनों, सरकारी गेस्ट हाउसों तथा गॉधी आश्रमों में ब्रांडिंग हेतु स्थानों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाएगा |

5. चयन की प्रक्रिया :

5.1 सरकारी भवनों सरकारी गेस्ट हाउसों तथा गॉधी आश्रमों हेतु चयन की प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत गठित समिति द्वारा की जायेगी :

(1) जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष)

(2) लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (सदस्य)
(3) उपायुक्त उद्योग (सदस्य/संयोजक)

5.2 एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन हेतु चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) द्वारा किया जाएगा | प्रति एयरपोर्ट एवं प्रति रेलवे स्टेशन अधिकतम एक ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

6. उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

6.1 ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ द्वारा योजना के सम्बन्ध में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस विज्ञापन ज़ारी की जायेगी। साथ ही आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं जनपद स्तर पर उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा प्रेस विज्ञप्ति एवं अन्य माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

6.2 अनुबंध हस्ताक्षरित करने के 03 माह के अन्दर ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर(एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन हेतु) अनिवार्य रूप से प्रारम्भहोने चाहिये।

6.3 अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में आवेदक के सभी आगामी वित्तीय लाभ तत्काल प्रभाव से स्थगित हो जायेंगे ।

6.4 जनपद स्तर पर उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अपने जनपद में ओ0डी0ओ0पी0 ब्रांडिंग के उद्देश्य से सरकारी भवनों, सरकारी गेस्ट हाउस एवं गाँधी आश्रम में लगाई गयी ब्रांडिंग सामग्री का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे | उपायुक्त उद्योग द्वारा रेण्डम आधार पर तिथियों का चयन करते हुए मासिक निरीक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार एयरपोर्ट्स एवं रेलवे स्टेशन पर स्थित ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर के निरीक्षण हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी अधिकृत होगा ।

6.5 उपायुक्त उद्योग द्वारा योजना की प्रगति के सम्बन्ध में ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ को नियमित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलध कराई जायेगी एवं अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ को अवगत कराया जाएगा ।

6.6 विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों का निर्धारण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग स्तर से किया जा सकेगा ।

6.7 ओ0डी0ओ0पी0 स्टोर की हानि अथवा लाभ के लिए ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ अथवा सम्बन्धित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगें।

6.8 योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक व्यय किया जाएगा ।

7. 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के क्रियान्वयन हेतु 'एक जनपद एक उत्पाद' उ0प्र0 की ब्राण्डिंग योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /(1)/18-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5-समस्तपरिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0।
6-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ।
7-समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष बाबू)
अनु सचिव।